बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0–1 / पी0सी0आर0(विविध)09–34 / 2013– 4297

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक– 3/6/16

विषयः– **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 एवं संशोधन नियम–2016 लागू करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–11012 / 1 / 2002– पी0सी0आर0(डेस्क) दिनांक–4 फरवरी, 2016 और अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–11012 / 1 / 2002– पी0सी0आर0 (डेस्क) दिनांक–13 मई, 2016 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 एवं संशोधन नियम–2016 की प्रति उपलब्ध करायी है।

(1) केन्द्र सरकार ने संशोधन अधिनियम 2015, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2016 को अधिसूचित किया गया है (प्रति संलग्न), को दिनांक–26.01.2016 से लागू किया है। उक्त संशोधन अधिनियम में मुख्य रूप से निम्नांकित संशोधन किये गये हैः–

(I) नई परिभाषाओं, नए अपराधों, मौजूदा खण्डों को पुनः परिभाषित करने और अवधारणा की सीमा का विस्तार करने के लिए अध्याय 2 (अत्याचार के अपराध) में संशोधन (Amendments to Chapter II (Offences of Atrocities) to include new definitions, to re-phrase existing sections and expand the scope of presumptions.)

(II) संस्थागत सुदृढ़ीकरण, (Institutional Strengthening)

(III) अपील (एक नई धारा) (Appeals)

(IV) पीडितों और साक्षियों के अधिकारों का निर्धारण (एक नया अध्याय) (Establishing Rights of victims & witnesses)

(V) निवारक उपायों का सुदृढ़ीकरण (Strengthening preventive measures)

(2) उक्त संशोधन अधिनियम–2015 के आलोक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित (प्रति संलग्न) एवं लागू किया है।

वर्णित स्थिति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 एवं सशोधन नियम–2016 की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अत्याचार से पीडितों के मामलों में संशोधित अधिनियम–2015 एवं नियम–2016 के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। साथ ही इस सशोधनों से सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन

3.6.16
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 1 / पी0सी0आर0(विविध)09–34 / 2013– 4297 पटना, दिनांक– 3/06/16

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी पुलिस महानिरीक्षक / निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सभी विशेष पदाधिकारी (अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी) / सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / सभी विशेष लोक अभियोजक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/6/16

उप निदेशक(मु0)।

ज्ञापांक–1 / पी0सी0आर0(विविध)09–34 / 2013– 4297 पटना, दिनांक– 03/06/16

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / प्रधान सचिव, गृह विभाग / सचिव, विधि विभाग / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागीय प्रधान / निदेशक, अभियोजन गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना / पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग / पुलिस अधीक्षक (कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/6/16

उप निदेशक(मु0)।

ज्ञापांक–1 / पी0सी0आर0(विविध)09–34 / 2013– 4297 पटना, दिनांक– 03/06/16

प्रतिलिपि--संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली / संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनु0जाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली / संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनु0 जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली / निदेशक, राष्ट्रीय अनु0जनजाति आयोग,बी0–189, श्री कृष्णापुरी,पटना–1 को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/6/16

उप निदेशक(मु0)।

ज्ञापांक–1 / पी0सी0आर0(विविध)09–34 / 2013–4297 पटना, दिनांक– 03/06/16

प्रतिलिपि–सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना / सचिव, महादलित आयोग, बिहार, पटना को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/6/16

उप निदेशक(मु0)।

ज्ञापांक–1 / पी0सी0आर0(विविध)09–34 / 2013– 4297 पटना, दिनांक– 03/06/16

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार / पुलिस महानिदेशक, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3/6/16

उप निदेशक(मु0)।

ज्ञापांक–1 / पी0सी0आर0(विविध)09–34 / 2013–4297पटना, दिनांक– 03/06/16

प्रतिलिपि– सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3/6/16

उप निदेशक(मु0)।

ज्ञापांक–1 / पी0सी0आर0(विविध)09–34 / 2013–4297पटना, दिनांक– 03/06/16

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सचिव, को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3/6/16.

उप निदेशक(मु0)।

new file for rameshwar babu sanjay